न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस

अपील संख्याः 25/2018 शस्त्र अधिनियम्
GCMS No. 2018/00082

ठाकरदास पुत्र स्व. श्री जीवतराम जाति सिंधी निवासी 29 एफ श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

————अपीलान्ट

——बनाम——

स्टेट ऑफ राजस्थान

————रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः— ज्ञानसिंह — अभिभाषक अपीलांट

श्री गजेन्द्रसिंह — सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 07.09.2022

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 20.07.2018, जिसके द्वारा अपीलांट के पिता का शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 3676/57 ओ.एस.1050/71 डी एम श्रीगंगानगर के वारिस के तौर पर अपीांट को नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किया गया, के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के पिता स्व. जीवतराम के नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 3676/57 बना हुआ है, जिस पर 12 बोर गन नं. 1487 दर्ज है। अपीलांट ने उत्तराधिकार में नवीन अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर के समक्ष दिनांक 14.02.2017 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। इस पर जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर से रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 06.07.2018 को लाइसेंस दिये जाने की अभिशंषा पर "अनुचित" की टिप्पणी करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिस पर न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

आदेश दिनांक 20.07.2018 से अपीलांट का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई है।

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट तथा राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से कथन किया है कि प्रकरण में अपीलार्थी के पिता स्व. जीवतराम की मृत्यु के पश्चात अपीलार्थी ने स्व. जीवतराम के अन्य वारिसों के शपथ पत्रों सहित शस्त्र अनुज्ञा पत्र हेतु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। अपीलार्थी के आवेदन किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सीआईडी (वि.शा.) श्रीगंगानगर, राज्य विशेष शाखा राजस्थान जयपुर तहसीलदार श्रीकरनपुर व पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर से रिपोर्ट मांगी गई, जिसमें पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर के अतिरिक्त अन्य सभी ने शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिये जाने की अनुशंषा की किन्तु पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर ने शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिया जाना अनुचित बताकर रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयुध नियम 2016 के प्रभावी होने के बाद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी से नये नियम के तहत आवेदन लेकर पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर से रिपोर्ट मंगवायी गई। उक्त रिपोर्ट में जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर ने बिना किसी कारण के शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किया जाना अनुचित बताकर रिपोर्ट प्रेषित कर दी। जिला पुलिस अधीक्षक को केवल अपीलार्थी के चरित्र की रिपोर्ट देनी होती है। लाइसेंस दिया जाना अनुचित है या उचित है का निर्णय जिला मजिस्ट्रेट का होता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.07.2018 निरस्त किया जावे। अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 27.08.2018 को हुई है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः अपील मियाद में शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे ।

5. विद्वान सहायक लोक अभियोजक श्री गजेन्द्र सिंह ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर की रिपोर्ट में अपीलांट को वारिस के तौर पर उत्तराधिकार में नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिया जाना "अनुचित" की अनुशंषा की गई। पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

करने हेतु किया गया आवेदन पत्र दिनांक 14.02.2017 निरस्त किया गया, जो उचित है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट तथा राज्य पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक द्वारा की गई बहस एवं अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अध्ययन व मनन किया। अपील मियाद बाहर प्रस्तुत हुई है। मियाद अधिनियम की धारा 5 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में उल्लेखित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट अन्दर मियाद शुमार की जाती है। प्रकरण में जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 06.07.2018, जिसमें अपीलांट को उत्तराधिकार में नवीन शस्त्र अनुज्ञा दिया जाना "अनुचित" की अनुशंषा की गई है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। अतः अधिनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

7. तद्अनुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 07.09.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर